आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

आदेश

विविध वाद संख्या– 17/2018–19

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

मसोमात देवपति कुवंर .... प्रथम पक्ष

बनाम

अजय पासवान ....द्वितीय पक्ष

PNO-25 26-10-18

PNO-31 1-11-18

04.10.2018

यह प्रक्रिया आवेदिका मसोमात देवपति कुंवर पति– स्व0 लालदेव दुसाध ग्राम– रबदा, पो0– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला–पलामू ने अजय पासवान पिता– स्व0 कपीलदेव दुसाध ग्राम– रबदा, पो0– नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला–पलामू के विरूद्ध धारा 144 दं0प्र0सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर थाना प्रभारी, नौडीहा बाजार से इस कार्यालय के ज्ञापांक– 664 दिनांक– 03.07.2018 से जाँच प्रतिवेदन कि मांग की गई। थाना प्रभारी, नौडीहा बाजार ने अपने डी0 आर0 नं0– 232/18 दिनांक– 27.07.2018 से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किये हैं। जाँच प्रतिवेदन में विवाद को देखते हुए एवं शांति– व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं0प्र0सं0 लगाने की अनुशंसा किया गया है। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:– मौजा– रबदा, खाता सं0– 11/94, प्लॉट सं0– 56, रकबा– 0.21 एकड़, चौहद्दी,

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	उत्तर— बैजनाथ पासवान, दक्षिण— सुरेश पासवान, पूरब— रोड, पश्चिम— पिंड, खाता सं0— 11/94, प्लॉट सं0— 52, रकबा— 0.36 एकड़, चौहद्दी, उत्तर— बैजनाथ पासवान, दक्षिण— नारायण ठाकुर, पूरब— जगदीश ठाकुर, पश्चिम— पिंड, खाता सं0— 11/94, प्लॉट सं0— 74, रकबा— 0.08 एकड़, चौहद्दी, उत्तर— सीताराम पासवान, दक्षिण— सुरेश पासवान, पूरब— रामजीवन ठाकुर, पश्चिम— आहर, खाता सं0— 11/94, प्लॉट सं0— 77, रकबा— 0.15 एकड़, चौहद्दी, उत्तर— सीता पासवान, दक्षिण— जगनारायण सिंह, पूरब— रोड, पश्चिम— पिंड, खाता सं0— 11/94, प्लॉट सं0— 880, रकबा— 0.11 एकड़, चौहद्दी, उत्तर— रामविलास बैठा, दक्षिण— झरी बैठा, पूरब— रामजीवन ठाकुर, पश्चिम— पिंड, खाता सं0— 11/94, प्लॉट सं0— 884, रकबा— 0.46 एकड़, चौहद्दी, उत्तर— कौलेश्वर बैठा, दक्षिण— नाला, पूरब— जगदीश ठाकुर, पश्चिम— पिंड, एवं खाता सं0— 11/94, प्लॉट सं0— 887, रकबा— 0.13 एकड़, चौहद्दी, उत्तर— प्रमोद पासवान, दक्षिण— कुलेश्वर बैठा, पूरब— जगदीश ठाकुर, पश्चिम— पिंड, के लिए विवादी भूमि के ऊपर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थि हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

हुए बताया कि उक्त भूमि प्रथम पक्ष के देवपति कुंवर पति– स्व0 लालदेव दुसाध एवं द्वितीय पक्ष के पिता– स्व0 कपिलदेव दुसाध के द्वारा खरिदगी भूमि है तथा खरिदगी के समय से उक्त खरिदगी भूमि पर दोनो पक्षों का दखल– कब्जा व जोत– कोड़ कायम है, उक्त भूमि में दोनो पक्षों का आधा– आधा हिस्सा पर दखल– कब्जा है। द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त खरिदगी भूमि का जब अपने दखल– कब्जा में करने का प्रयास किये तत्पश्चात उभय पक्ष के बीच जमीन का विवाद उत्पन हो गया। अजय पासवान जोर जबरजस्ती एवं बलपूर्वक प्रथम पक्ष की खरिदगी भूमि अथवा हिस्से की भूमि को हड़पने का प्रयास करने लगा तब प्रथम पक्ष इस बात की जानकारी पंचायत प्रतिनिधि एवं स्थानीय थाना में दी जहाँ से द्वितीय पक्ष की हठधर्मिता रहने के कारण कोई फैसला नहीं हुआ।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताय कि द्वितीय पक्ष के विरूद्ध प्रारम्भ किया गया यह प्रकिया चलने योग्य नहीं है। द्वितीय पक्ष के सदस्यगन शांतिप्रिय तथा कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा निराधार आवेदन पत्र देकर धारा 144 दं0प्र0सं0 का प्रकिया प्रारम्भ किया गया है। प्रथम पक्ष को वाद भूमि के ऊपर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रथम पक्ष ने विवादित भूमि का

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई व टिप्पणी त सहित
1	2	3

गलत एवं भ्रामक तथ्य प्रस्तुत कर धारा 144 दं0प्र0सं0 का प्रकिया प्रारम्भ कराये हैं, जो भरन पोषण योग्य नहीं है और प्रथम पक्ष के द्वारा गलत खाता प्लॉट प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार विवादित भूमि का सम्पूर्ण विवरण गलत है। द्वितीय पक्ष वर्षों से प्रथम पक्ष से अलग हो गये हैं तथा दोनो पक्षों के भूमि एक दुसरे से अलग– अलग है। प्रथम पक्ष ने खाता सं0– 79 मे संपूर्ण रकबा की भूमि पर यह प्रकिया प्रारम्भ कराये हैं जो हक हकियत एवं हिस्से से संबंधित है जिसका निपटारा धारा 144 दं0प्र0सं0 के तहत संभव नहीं है और सम्पूर्ण भूमि पर धारा 144 दं0प्र0सं0 संभव नहीं है। विवादित भूमि खाता सं0– 79 से संबंधित है लेकिन आवेदन पत्र में विवादि भूमि खाता सं0– 11/94 दर्ज है जो गलत है। आपसी बटवारा के अनुसार द्वितीय पक्ष खाता सं0– 11, प्लॉट सं0– 56,52,74 के भूमि पर दाखिल– काबिज हैं, जिससे प्रथम पक्ष को कभी सरोकार नहीं रहा है। प्रथम पक्ष का दावा भ्रामक एवं आधारहिन है, इसप्रकार किसी भी परिस्थिति में धारा 144 दं0प्र0सं0 का प्रकिया विवादित भूमि पर कायम रखना संभव नहीं है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न उभय पक्षों के कारण पृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

किया। अवलोकनोप्रांत ज्ञात होता है कि यह मामाला स्वत्व वाद से संबंधित है जिसका निपटारा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। यदि उभय पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय जा सकते हैं। साथ ही इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

4.10.18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

4.10.18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.29 13:30:33 +05:30
Location: 192.168.1.13